न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 376/2015
पंजीयन दिनांक 07.12.2015

(1). टोलु पिता स्वर्गीय डुंगा जाति भील निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). शंम्भु पिता स्वर्गीय डुंगा जाति भील निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). भोली बाई पत्नी स्वर्गीय डुंगा जाति भील निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). काली पुत्री स्वर्गीय डुंगा पति पेमा जाति भील निवासी रणवा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). देऊ पुत्री स्वर्गीय डुंगा पति नोला जाति भील निवासी रणवा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(6). नोजी पुत्री स्वर्गीय डुंगा पत्नी ऊंकार जाति भील निवासी सांवता तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). लालु पिता डुंगा गोद पुत्र भुरा जाति भील निवासी घासलों का खेड़ा हाल निवासी पीपल खेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(2). प्यारचन्द पिता डुंगा गोद पुत्र भुरा जाति भील निवासी घासलों का खेड़ा हाल निवासी पीपल खेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). गोपीलाल पिता डुंगा गोद पुत्र भुरा जाति भील निवासी घासलों का खेड़ा हाल निवासी पीपल खेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(4). माना पिता रत्ता जाति भील निवासी घासलो का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(5). गमेरा पिता रत्ता जाति भील निवासी घासलो का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
(6). कालु पिता रत्ता भील मृतक के बजाय–
6/1. रूपलाल पिता कालु जाति भील निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
6/2. रूकमा पुत्री कालु पत्नी भुरा जाति भील निवासी करजेली
6/3. हीरी पुत्री कालु पत्नी गमेर जाति भील निवासी मियॉरामजी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

खेड़ा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

6/4. केशी पत्नी कालु जाति भील निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(7). रामा पिता रत्ता जाति भील मृतक के बजाय

7/1. राधी पुत्री रामा जाति भील निवासी घासलों काखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

(8). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कपासन,तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन
प्रकरण संख्या 296/2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2009

उपस्थित वक्त बहस–(1).शिवनारायण जाट–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2).राजेन्द्र राजोरा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
(3).पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8

निर्णय **दिनांक 30.06.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 3 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के अंतर्गत इस आशय का पेश किया कि मौजा घासलों का खेड़ा तहसील कपासन में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की मौरूसी मिल्कीयत की आराजीयात हाल खसरा संख्या 63, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82 से 89, 350, 821/82 कुल किता 20 कुल रकबा 3.06 हैक्टेयर एवं मौजा जीवाखेड़ा तहसील कपासन की आराजी संख्या 456, 457, 458, 459, 460 कुल किता 5 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि आराजीयात होकर वर्तमान में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय डूंगा भील के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की पैतृक कृषि आराजीयात होने के कारण उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात के कुलिया हिस्से में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक व हिस्सा निहित है । परन्तु वादीगण रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड होने का फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 4 व 5 रेस्पोडेन्टगण को विक्रय करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है ।साथ ही वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित पैतृक कृषि आराजीयात के 1/5, 1/5 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने की डिक्री प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र दिनांक 10.02.2009 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 रेस्पोडेन्टगण के साथ संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण, वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजीयात को किसी दीगर को हस्तांतरित नहीं करे इस आशय की अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2009 से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण ने यह अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

अधिवक्ता अपीलांट्गण द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्गण संख्या 3 से 6 को अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलांट्गण संख्या 3 से 6 उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के खातेदार डुंगा भील के वारिसान होने से अपीलांट्गण को पक्षकारन नहीं बनाये जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2009 से अपीलांट्गण संख्या 3 से 6 का हक प्रभावित हुआ है अन्त में अपीलांट्गण संख्या 3 से 6 की ओर से अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की ।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्दा दीवानी स्वीकार किया जाकर अपीलांट्गण संख्या 3 से 6 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाकर पक्षकार मुकदमा बनाया जाता है।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून म्यांद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून म्यांद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में यह तथ्य अंकित किये कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट्गण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रित की गई है । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कोई समन नोटिस अपीलांट्गण/प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हुए तथा फर्जी तरीके से तामील करवाकर फर्जी अंगुठा लगा कर फर्जी तामील करवाई गई।वादीगण ने स्वयं को स्वर्गीय डुंगा जी का पुत्र होना दस्तावेजों से प्रमाणित नही करवाया है। वादीगण जन्म से ही अपने नाना भुरा के गोद चले गये तथा भूरा की समस्त आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को प्राप्त हुई । तीनो ही वादीगण भुरा की सम्पत्ति प्राप्त कर कई वर्षो से पीपलखेड़ी में ही निवास कर रहे है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर वादीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में स्वर्गीय डुंगा की तीन पुत्रियां काली, देऊ, नोजी व पत्नी भोली बाई जिनके जीवित होने पर भी प्रकरण मे पक्षकार कायम नही किया जाकर वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया है।साथ ही अपीलांट्गण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण डुंगा के जीवनकाल में डुंगा की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार पाने के अधिकारी नहीं थे, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में वादपत्र डिक्री किया गया जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने स्वर्गीय डुंगा की औलाद होना एवं वादग्रस्त आराजीयात का पैतृक होना दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित नहीं करवाया है। वादग्रस्त आराजीयात स्वर्गीय डुंगा की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी । दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट्गण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा सुनवाई करते हुए वादीगण रेस्पोडेन्ट्गण का वादपत्र अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित कर दिया गया जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट्गण की प्रोपर तामील नहीं हुई तथा फर्जी हस्ताक्षरो के आधार पर तामील होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र डिक्री किया गया, वादीगण द्वारा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का पैतृक सम्पत्ति होना एवं वादीगण के स्वर्गीय डुंगा के वारिस होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित कराये बिना ही वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में डिक्री किया जाना अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.02.2009 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करवाया है, तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र डिक्री किया गया है जिसमें किसी प्रकार का फेरबदल किया जाना विधी सम्मत नहीं है। साथ ही निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने दस्तावेजो के आधार पर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजीयात को पैतृक होना साबित करवाया है व अनुसूचित जन जाति में भी उत्तराधिकार के नियम पुरूष वारिसो पर लागू होते है जिस कारण महिला वारिसों को आवश्यक पक्षकार नहीं होने से पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील करायी जिस पर पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता हाजिर रहे है लेकिन पूर्ण अवसर देने के पश्चात भी अपीलांट्गण प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया। तथा वक्त बहस भी प्रतिवादी अपीलांट्गण के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित रहकर बहस की गई। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के पास डिक्री दो तरफा कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का आधार प्राप्त होने के बावजूद भी दो तरफा का आवेदन पेश नही करके सीधे ही बिना उचित कारण के यह अपील पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस व लिखित बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 23.08.2007 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया जिस पर दिनांक 13.07.2007 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 अपीलांट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात दिनांक 31.10.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया । इस प्रकार प्रकरण प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने हेतु नियत था परन्तु दिनांक 20.02.2008 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही प्रकरण में पत्रावली में जवाबदावा बंद किया जाकर दिनांक 26.03.2008 को पत्रावली वास्ते शहादत वादीगण नियत कर दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलांट्गण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना एवं प्रतिवादीगण अपीलांट्गण से बिना जवाबदावा लिए वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 के पक्ष में एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो कि न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को पत्रावली को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया, जो स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण सख्या 296/2007 निर्णय एवं डिकी दिनांक 10.02.2009 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, अजसरे तनकीवार नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटायी जावे। उभयपक्षकारान दिनांक 26.07.2022 को प्रकरण में सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में स्वयं उपस्थित रहे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)